

न्याया:-विशेष न्यायाधीश, भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)

समक्ष – वीरेन्द्र सिंह राजपूत

विशेष सत्र प्रकरण क्र० 14/2010

संस्थापन दिनांक-12-05-2010

मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल द्वारा ए०के०सिंह
कनिष्ठयंत्री म०प्र०म०क्षे०क०वि०वि० क०लि०
गोहद शहर जिला भिण्ड म०प्र०.....परिवादी

बनाम

विनोद जैन पुत्र मोहरमन जैन उम्र 55 वर्ष निवासी: मौ
रोड गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

.....अभियुक्त

परिवादी द्वारा श्री एन०पी०कांकर अधि०
आरोपी सहित श्री अरविंद वैशांदर अधि०

// निर्णय //
(आज दिनांक 26-04-2017 को घोषित किया गया)

01. आरोपी के द्वारा दिनांक 5-2-10 को 12:10 बजे दोपहर के लगभग मौ रोड गोहद में रहे परिसर में परिवादी विद्युत कम्पनी म०प्र०म०क्षे० वि०वि० कम्पनी गोहद शहर के विद्युत मीटर को रिमोट के द्वारा बंद करके 25 एच०पी० का औद्योगिक कनेक्शन को अवैध रूप से चलाया, जिसके संबंध में उसके विरुद्ध धारा 135 (1) क विद्युत अधिनियम 2003 के अपराध के संबंध में आरोप लगाया गया है।
02. परिवादी का परिवादपत्र संक्षेप में इस प्रकार से है कि परिवादी ए०के०सिंह कनिष्ठयंत्री म०प्र०म०क्षे०वि०वि०क०लि० गोहद शहर के द्वारा न्यायालय के समक्ष इस आशय का परिवादपत्र पेश किया गया है कि दिनांक 5-2-2010 को पी०के० हजेली ई.ई. (विजिलेंस) , ए०के० शर्मा ए.ई. गोहद, आर०सी० झा लाइन हेल्पर विजिलेंस, केशवसिंह लाइन हेल्पर विजिलेंस के साथ गोहद मौ रोड पर 12:10 पी०एम० बजे विद्युत चोरी चैकिंग के वास्तु पहुंचे तो उपभोक्ता वृजमोहन पुत्र हरप्रसाद के कनेक्शन 90-20-21633 का उपयोग विनोद जैन पुत्र मोहरमन जैन मीटर को रिमोट के द्वारा बन्द करके विद्युत

की चोरी अवैध रूप से व अप्राधिकृत रूप से 25 एच0पी0 का औद्योगिक कनेक्शन चलता पाया। उसी समय मौके पर अवैध रूप से विद्युत चोरी करने के संबंध में जांच अधिकारी द्वारा पंचनामा तैयार किया गया जिस पर पूरी टीम ने पंचनामा की सत्यता के संबंध में अपने हस्ताक्षर किये हैं। मौके पर अभियुक्त ने अपने हस्ताक्षर किये हैं। तदुपरांत दिनांक 8-3-2010 को जरिये सूचना अनंतिम निर्धारण का आदेश अभियुक्त को इस आशय का सूचना पत्र दिया कि आप दिनांक 5-2-10 को कार्यपालन यंत्री सतर्कता के द्वारा 25 एच.पी. का औद्योगिक कनेक्शन अवैध रूप से चलाते हुए पाए जाने पर जिसे कि विद्युत विभाग को 1,46,242/-रुपए की हानि हुई तथा कम्पाउडिंग की राशि 2,60,000/- रुपए कुल 4,06,242/- रुपए जमा करने हेतु सूचना पत्र दिया गया। उक्त सूचना पत्र पर से उसके द्वारा कोई राशि जमा नहीं कराई गई। तदोपरांत परिवादपत्र धारा 135 विद्युत अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय में पेश किया गया।

03. परिवाद प्रस्तुत करने पर आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 के अंतर्गत अपराध पाये जाने से आरोप आरोपित कर पढ़कर सुनाया, समझाया गया तो आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार करते हुए विचारण चाहा, उसका अभिवाक् अंकित किया गया तत्पश्चात् परिवादी की ओर से साक्षी केशवसिंह प0सा0 1, आर0सी0 झा प0सा0 2, ए0के0शर्मा प0सा0 3, पी0के0हजेला प0सा0 4 एवं ए0के0सिंह प0सा0 5 का परीक्षण कराया गया। परिवादी साक्ष्य उपरांत दं.प्र. सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार करते हुए अपने आपको झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया और प्रतिरक्षा साक्षी के रूप में बीरेन्द्र बचाव साक्षी क01 का परीक्षण कराया गया है।

04. इस प्रकरण के निराकरण के लिये निम्न विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं :

01. क्या आरोपी ने दिनांक 05.02.2010 को मौ रोड गोहद में विद्युत कनेक्शन को अवैध रूप से चलाया?
02. दण्डादेश यदि कोई हो?

// साक्ष्य का विश्लेषण एवं सकारण निष्कर्ष //

05. प्रकरण में परिवादी की ओर से प्रमुख रूप से यह आधार लिया गया है कि घटना दिनांक को आरोपी अपने परिसर में अनाधिकृत रूप से 25 एच.पी. की विद्युत मोटर अवैध रूप से चला रहा था और जिससे उसने परिवादी कम्पनी को 1,46,242/- रूपए की आर्थिक क्षति कारित की। जबकि आरोपी की ओर से यह आधार लिया गया है एवं इस संबंध में बचाव साक्षी भी कराया गया है कि विनोद जैन ने बृजमोहन झा की चक्की नहीं खरीदी और जिस स्थान का परीक्षण किया गया है वह विनोद जैन का नहीं है।

06. परिवादी की ओर से आधार लिया गया है कि घटना दिनांक 05.02.2010 को ए.के. शर्मा कार्यपालनयंत्री प0सा0 3 एवं पी.के. हजेला कार्यपालन यंत्री प0सा0 4 तथा लाइन हेल्पर केशवसिंह प0सा0 1 एवं आर.सी. झा प0सा0 2 का निरीक्षण दल मौके पर पहुँचा था। यदि साक्षी केशवसिंह प0सा0 1 एवं आर.सी. झा प0सा0 2 के कथनों का अवलोकन किया जावे तो इन साक्षियों का अपने कथनों में कहना रहा है कि वह दिनांक 05.02.2010 को ए0के0 शर्मा एवं पी.के.हजेला के साथ बिजली चैकिंग के लिए गए थे। दोपहर में 12:10 बजे आरोपी के परिसर में गए थे, वहाँ पर आरोपी के परिसर में लगे विद्युत मीटर को रिमोट से बंद कर के विद्युत चोरी करना पाया था, जिसका पंचनामा पी.के. हजेला ने बनाया था।

07. घटना के संबंध में यदि साक्षी पी0के0 हजेला प0सा0 4 के कथनों का अवलोकन किया जाए तो इस साक्षी का अपने मुख्य परीक्षण में कहना रहा है कि वह आरोपी के परिसर में विद्युत चैकिंग करने गया था, उस समय मीटर को रिमोट के द्वारा बंद किया गया था तथा उपयोग उपभोक्ता बृजमोहन झा के परिसर में किया जा रहा था। परिसर में तेल मिल व आटा चक्की मीटर रिमोट द्वारा बंद कर के चलाई जा रही थी। मौके पर आरोपी विनोद जैन मिला था, उसकी उपस्थिति में पंचनामा तैयार किया था। इसी आशय के कथन साक्षी ए0के0 शर्मा प0सा0 3 के रहे हैं।

08. प्रकरण में परिवादी की ओर से प्र.पी. 1 का पंचनामा तैयार किया गया है, जिस पर

परिवादी साक्षी ने ई से ई भागों पर आरोपी विनोद जैन के घटना के समय हस्ताक्षर किए जाने संबंधी कथन किए हैं।

09. बचाव पक्ष की ओर से प्रमुख रूप से यह आधार लिया गया है कि परिसर का उपयोग आरोपी के द्वारा नहीं किया जा रहा था, जबकि परिवादी साक्षी के इस आशय के कथन रहे हैं कि परिसर बृजमोहन झा का था जिसका उपयोग आरोपी कर रहा था और यह जानकारी स्वयं आरोपी ने मौके पर दी थी।

10. यदि प्रकरण का अवलोकन किया जाए तो जिस स्थान पर निरीक्षण किया गया है उस उपभोक्ता का नाम प्र.पी. 1 के पंचनामे में बृजमोहन झा लेख किया गया है तथा सर्विस क्रमांक 90-25-21633 का उल्लेख किया गया है। यदि इस संबंध में परिवादी साक्षी आर.सी. झा प0सा0 2 के प्रतिपरीक्षण का अवलोकन किया जाए तो इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि कनेक्शन बृजमोहन झा के नाम से था और उसे आरोपी प्रयोग कर रहा था। यदि इस संबंध में साक्षी पी0के0हजेला प0सा0 4 के कथनों का अवलोकन किया जाए तो इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में स्पष्ट किया है कि आरोपी ने स्वयं उसे यह जानकारी दी थी कि उपभोक्ता बृजमोहन झा से उसने ढाई साल पहले कय किया है, किन्तु विद्युत बिल की बकाया राशि होने के कारण उसने नाम अंकित नहीं कराया है। इस तथ्य को साक्षी पी0के0हजेला प0सा0 4 ने अपने प्रतिपरीक्षण में भी स्पष्ट किया है। इस तथ्य को परिवाद प्रस्तुत करने वाले अधिकारी साक्षी ए0के0 सिंह प0सा0 5 ने भी अपने कथनों में स्वीकार किया है। कनेक्शन बृजमोहन झा के नाम से था। यदि इस संबंध में परिवादी की ओर से प्रस्तुत पंचनामा प्र.पी. 1 का अवलोकन किया जाए तो आरोपी के बताए अनुसार ढाई वर्ष पूर्व कनेक्शन बृजमोहन झा से खरीदने संबंधी तथ्य लेख है। अतः प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं परिवादी साक्षियों के कथनों का अवलोकन किया जाए तो प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट प्रमाणित होता है कि जिस कनेक्शन को अवैध होना बताया जा रहा है वह बृजमोहन झा के नाम पर परिवादी द्वारा दिया गया है।

11. यदि इस तथ्य पर विचार किया जाए कि क्या उक्त कनेक्शन अवैध था? तो इस संबंध में प्र.पी. 1 के पंचनामे में आरोपी के द्वारा सूचना देने पर पिछली बकाया राशि 1,72,995/- रूपए होने

संबंधी आधार तो लिए हैं, किन्तु इस संबंध में कनेक्शन से संबंधित पूर्व राशि का कोई दस्तावेज परिवादी कम्पनी की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है।

12. यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि जब विद्युत कम्पनी किसी व्यक्ति को विद्युत कनेक्शन देती है तो वह तब तक वैध रहता है, जबतक कि उसे विच्छेदित न कर दिया जाए। परिवादी की ओर से अपने परिवार में यह आधार नहीं लिया गया है कि उपभोक्ता बृजमोहन झा को दिया गया कनेक्शन किसी कारण से विच्छेदित कर दिया गया था। प्रकरण में ऐसी भी परिस्थितियाँ नहीं हैं कि परिवादी की ओर से यह आधार लिया गया है कि दर्शित उपभोक्ता के अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति विधिवत प्रदत्त विद्युत कनेक्शन का उपयोग नहीं कर सकता है। यदि इस संबंध में साक्षियों के कथनों का अवलोकन किया जाए तो इन साक्षियों का भी ऐसा कहना नहीं रहा है कि बिल जमा न करने के कारण उपभोक्ता बृजमोहन झा को दिया गया विद्युत कनेक्शन विच्छेदित कर दिया गया था और तत्पश्चात् आरोपी ने या किसी अन्य व्यक्ति ने उसे अवैध रूप से जोड़ लिया गया था। ऐसी स्थिति में जहाँ कि एक कनेक्शन जो विधिवत दिया गया है, जिसे विच्छेदित नहीं किया गया है वह तब तक वैध है, जबतक कि उसे विच्छेदित न कर दिया जाए। प्रकरण में इस आशय का कोई साक्ष्य रिकार्ड पर नहीं है कि सर्विस क्रमांक 90-25-21633 को विच्छेदित कर दिया गया था अथवा प्रकरण में इस आशय की भी कोई साक्ष्य रिकार्ड पर नहीं है कि उक्त कनेक्शन को बृजमोहन झा के अतिरिक्त अन्य किसी को उपयोग करने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता है कि निरीक्षण किए गए स्थान पर सर्विस क्रमांक 20-90-21633 में अवैध रूप से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जा रही थी।

13. प्रकरण में अब यह देखा जाना है कि क्या आरोपी विनोद जैन निरीक्षण किए गए स्थान का उपयोगकर्ता था? और क्या उसके द्वारा रिमोट से मीटर के साथ छेड़ छाड़ की गई?

14. प्रकरण में परिवादी साक्षियों के कथनों में यह स्पष्ट आया है कि जिस स्थान का निरीक्षण किया गया था उस स्थान पर आरोपी स्वयं उपस्थित मिला था। उसकी उपस्थिति में पंचनामा तैयार किया गया था तथा पंचनामा में आरोपी ने हस्ताक्षर किए थे, जिसकी पुष्टि दस्तावेज से भी होती है। यहाँ तक कि साक्षी पी0के0हजेला पी0सा0 4 ने आरोपी के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर प्र.पी.

1 के पंचनामे पर उक्त परिसर एवं विद्युत कनेक्शन बृजमोहन झा से क़य करने संबंधी तथ्य बताए जाने पर लेख किए है जिसकी साक्षियों ने पुष्टि की है। आरोपी मौके पर परिसर में उपस्थित था तथा परिसर को प्रयोग कर रहा था, इस संबंध में परिवादी साक्षियों के प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जिससे साक्षियों की साक्ष्य पर अविश्वास किया जा सके। जहाँ तक बचाव पक्ष की ओर से ली गई इन तर्कों का प्रश्न है एवं प्रतिपरीक्षण में पूछे गए प्रश्नों का प्रश्न है कि घटना दिनांक को परिसर किस व्यक्ति के नाम पर था इसकी कोई जाँच निरीक्षण दल के सदस्यों द्वारा नहीं की गई। हालांकि इस तथ्य को परिवादी साक्षियों ने स्वीकार किया है और इस आशय की कोई दस्तावेजी साक्ष्य रिकार्ड पर नहीं है कि घटना दिनांक को निरीक्षण किये गए स्थल किस व्यक्ति के नाम पर रिकार्ड में दर्ज था, किन्तु उसके उपरांत भी प्रकरण में इस आशय की विश्वसनीय साक्ष्य रिकार्ड पर है कि घटना दिनांक को आरोपी निरीक्षण किए गए स्थल को उपयोग कर रहा था।

15. आरोपी पर प्रमुख रूप से रिमोट द्वारा मीटर से छेड़ छाड़ का आरोप है। यदि इस संबंध में परिवादी साक्षियों के कथन का अवलोकन किया जाए तो सभी साक्षियों का एक स्वर में कहना रहा है कि घटना के समय मीटर विनोद के द्वारा बंद कर के चलाया जा रहा था। इस बात का उल्लेख प्र.पी. 1 के पंचनामे में भी किया गया है। मौके से जिस स्थल का निरीक्षण किया गया है उसका विद्युत मीटर एवं एक काले रंग का रिमोट जप्त किया जाना दर्शाया गया है। मीटर बंद होने के संबंध में यदि साक्षी पी0के0हजेला प0सा0 4 के कथनों का अवलोकन किया जाए तो इस साक्षी का यह कहना रहा है कि मीटर रिमोट द्वारा बंद कर के विद्युत चोरी की जा रही थी। मौके पर बताए जाने वाले रिमोट से विद्युत मीटर बंद चालू हो सकता है इस साक्षी ने ऐसा कर के देखा, ऐसा इस साक्षी का कहना नहीं रहा है और न ही इस बात का उल्लेख प्र.पी. 1 के पंचनामा में है कि साक्षी के द्वारा मौके पर जप्त दर्शाए गए रिमोट से मीटर को चालू बंद कर के देखा गया तो मीटर चालू बंद हो रहा था। साक्षी आर.सी. झा प0सा0 2 का अपने कथनों में यह अवश्य कहना रहा है कि मीटर को रिमोट से बंद कर के चोरी करना पाया था, किन्तु इस साक्षी का भी ऐसा कहना नहीं रहा है कि मौके पर किसी अधिकारी के द्वारा मीटर को रिमोट से बंद चालू कर के देखा गया था। यदि इस संबंध में साक्षी ए0के0 शर्मा प0सा0 3 के कथनों

का अवलोकन किया जाए तो इस साक्षी का अपने कथनों में यह अवश्य कहना रहा है कि मीटर चालू बंद रिमोट से कर के देखा था तो उससे नियंत्रित हो रहा था, किन्तु साक्षी का यह भी कहना रहा है कि पी0के0हजेला ने रिमोट को आरोपी के हाथ से पकड़कर जप्त किया था, किन्तु ऐसा साक्षी पी0के0हजेला प0सा0 4 का कहना नहीं रहा है और न ही साक्षी पी0के0हजेला ने इस बात का उल्लेख अपने प्र.पी. 1 के पंचनामा में किया है।

16. यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि परिवादी कम्पनी अपने विद्युत मीटर परीक्षण के पश्चात् लगाती है। मीटर को किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त, टेम्पर किया गया था, उसमें ऐसी कोई डिवाइश लगाई गई थी जो रिमोट से नियंत्रित होती हो और वहने वाली विद्युत प्रवाह का नियंत्रित करती हो, ऐसा साक्षी का कहना नहीं रहा है। साक्षी के कथनों में यह तथ्य भी नहीं आया है कि मीटर किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त पया था।

17. मीटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइश होने के कारण विशेषज्ञ व्यक्तियों के द्वारा ही तैयार की जाती है। जिस प्रकार की रिमोट से नियंत्रित किये जाने का आधार लिया है, जप्तशुदा मीटर उस रिमोट से नियंत्रित हो सकता था अथवा नहीं, जप्तशुदा मीटर में ऐसी कोई डिवाइश लगाई गई थी जो विद्युत धारा के प्रवाह को नियंत्रित करती हो या रोकती हो, इस आशय की कोई जाँच मीटर की एवं रिमोट की किसी विशेषज्ञ से नहीं कराई गई है। ऐसी स्थिति में जो आरोप आरोपी पर है कि रिमोट के द्वारा मीटर रीडिंग को बंद किया गया था के संबंध में विश्वसनीय साक्ष्य रिकार्ड पर नहीं है। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि प्रकरण में परीक्षित साक्षी केवल यह कथन करते हैं कि रिमोट से मीटर बंद किया गया था, किन्तु रिमोट से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी, किन्तु उसकी गणना करने वाली इकाई बंद थी, के संबंध में विश्वसनीय साक्ष्य रिकार्ड पर नहीं है।

18. संदेह कितना ही प्रबल क्यों न हो सबूत का स्थान नहीं ले सकता है और जहाँ मामले में संदेह है वहाँ संदेह का फायदा आरोपी प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अभियोजन को अपने मामले को प्रत्येक दशा में संदेह से परे प्रमाणित किया ही जाना होता है और यह सिद्धि भार कभी उन्मोचित नहीं होता है।

19. प्रश्नगत प्रकरण में मीटर को आरोपी द्वारा रिमोट द्वारा संचालित किया जा रहा था यह निष्कर्ष निकाले जाने के लिए कोई विश्वसनीय साक्ष्य रिकार्ड पर नहीं है जिससे यह माना जा सके कि परिवादी ने अपनी ओर से लगाए गए आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित कर दिया है।
20. परिणामतः परिवादी आरोपित अपराध को संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल नहीं रहा है।
21. परिणामतः आरोपी को आरोपित अपराध धारा 135(1)(क) विद्युत अधिनियम 2003 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
22. प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति पर आरोपी ने कोई नहीं जताया है। अतः जप्तशुदा सम्पत्ति अपील अवधि पश्चात् परिवादी को बापस की जावे।
23. आरोपी जमानत पर है अतः उसके जमानत मुचलके उन्मोचित किये जाते हैं।

(निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
एवं दिनांकित कर उद्घोषित किया गया)

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(वीरेन्द्रसिंह राजपूत)
विशेष न्यायाधीश,
भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0

(वीरेन्द्रसिंह राजपूत)
विशेष न्यायाधीश,
भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0